पावर ग्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

के.आ/.के.आ/.सू.अ/2016/750 दिनांक : 22 मार्च, 2017

श्री संजय सिंह,
N1/65C-1E, Shiv Prasad Nagar,
Colony, Samneghat,
Lanka Varanasi 221 005

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना**

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 04.02.2017 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी थी ।

आपके द्वारा मांगी गई जानकारी **अनुबन्ध – क** पर संलग्न है ।

यदि आप लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी का पता निम्नवत है :

श्री अशवनी जैन,
कार्यपालक निदेशक (सीएमजी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
"सौदामनी, प्लाट नं. 2, सैक्टर – 29 , गुड़गांव – 122001, हरियाणा
Email ID: aj@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571962

धन्यवाद ।

भवदीय,

22/3

(अजय होलानी)
अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी
Email ID: **cpio.cc@powergrid.co.in**

अनुबंध - क

श्री संजय सिंह, वाराणसी के द्वारा सूचना के अधिकार नियम, 2005 के अंतर्गत माँगी गई जानकारी

निवेदक द्वारा माँगी गई जानकारी सामान्य प्रकृति के हैं तथा विशेष रूप पॉवरग्रिड के किसी भी पारेषण लाइन से संबध नहीं रखते हैं।

माँगी गई जानकारी बिंदुवार निम्न विबरण के अनुसार है।

(1.) घर या आवास बनाने के लिए पॉवर लाइन से न्यूनतम दूरी पॉवर लाइन के वोल्टेज पर निर्भर करता है तथा यह *Central Electricity Authority Regulations for "Measures relating to Safety and Electric Supply, 2010"* के अनुसार तय किए जाते है।

(2.) पॉवर लाइन से कोई हानिकारक रेडिएशन नहीं निकलता है। बिजली के प्रवाह से उत्पन्न interference की मात्रा भी अंतराष्ट्रिय मानकों के अनुरूप होती है और यह जान-माल या इलेक्ट्रानिक उपकरणों लिए हानिकारक नहीं होते हैं।

(3.) पॉवरग्रिड में पारेषण(Transmission) लाइनें 132kV, 220kV, 400kV, 765kV तथा 800kV की हैं जिससे पॉवर का पारेषण(Transmission) किया जाता है।

(4.) इसका उत्तर (1.) के अनुसार है।

(5.) पारेषण(Transmission) लाइनों का तार जिस भूमि के उपर से जा रहे हैं वहाँ आवासीय घर या प्लॉट खरीदा खरीदे जाने पर कोइ प्रतिबंध नही है। भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय द्वारा पारेषण लाइन के राइट ऑफ वे(मार्ग का अधिकार) के अंतर्गत टॉवर के लिए उपयोग की जा रही भूमि एवं तार के नीचे आनेवाली भूमि हेतु मुआवजा के लिए दिशा निर्देश दिनांक:18/10/2015 को जारी किए गए है जो कि निम्न है:

(अ) टावर खड़ा करने की वजह से बूरी तरह प्रभावित टावर के बेस एरिया (चारो लेग के बीच की जगह) की जमीन की मूल्य का 85% भाग मुआवजा के लिए देय होगा।

(आ) पारेषण लाइन बिछाए जाने की वजह से, राइट ऑफ वे (मार्ग का अधिकार) के अंदर आनेवाली जमीन की मूल्य का 15% (अधिकतम) भाग मुआवजा के लिए देय होगा।

इस संबंध में भारत सरकार ने मुआवजा के लिए उपरोक्त उल्लिखित दिशा निर्देशों के पालन हेतु समुचित निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों को आग्रह किया है।

(6.) अगर भविष्य में कोई दुर्घटना टावर अथवा तार से होती है तो उसकी जिम्मेदारी और मुआवजा इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कारण क्या है तथा नुकसान क्या है।